

उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का शक्तिर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उदयपुर ज़िले में अधिकारी कई मौतों के लिये ज़मिमेदार एक **तेंदुए** की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं।

मुख्य बादि

- उदयपुर ज़िले में एक तेंदुए ने सात लोगों को मार डाला है, वन वभिग, पुलसि और **भारतीय सेना** की खोज टीम जानवर को पकड़ने या मारने की कोशशि कर रही हैं।
- वभिन्न स्थानों पर पजिरे लगाए गए हैं और स्थानीय ग्रामीण इस प्रयास में सहायता कर रहे हैं।
- हाल ही में 55 वर्षीय महलिया पर दुए घातक हमले के बाद **मुख्य वन्यजीव वार्डन** ने जानवर को गोली मारने का आदेश दिया तथा गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश जारी है।

मुख्य वन्यजीव वार्डन

- **प्राधिकरण:** **मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wild Life Warden- CLWL)** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक प्राधिकरण है जो राज्य वन वभिग के वन्यजीव वगि की देखरेख के लिये ज़मिमेदार है।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** CWLW राज्य के **संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas- PA)** पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, तथा वन्यजीव संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।
- **संरक्षित क्षेत्रों की संरचना:** प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र (PA) को आम तौर पर एक वन्यजीव प्रभाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी प्रशासनिक ज़मिमेदारियों का नेतृत्व उप वन संरक्षक (Deputy Conservator of Forests- DCF) करता है।